वन अधिकार क़ानून की राजनैतिक ऐजेंडा में जगह

उम्मीदवारों व मतदाताओं के लिए नोट

नवम्बर 2022

हिमधरा पर्यावरण समूह द्वारा जारी

हिमाचल प्रदेश

वन अधिकार क़ानून की राजनैतिक ऐजेंडा में जगह: उम्मीदवारों व मतदाताओं के लिए नोट

आज़ादी के 75 वर्ष व हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य घोषित होने के 51 वर्ष बाद हिमाचल प्रदेश की जनता 14वें विधान सभा चुनाव के लिए 12 नवम्बर को मतदान करेगी। जिस राज्य में पिछले चुनाव (2017) में 75% मतदान हुआ था, वहां बढ़ती बेरोजगारी और सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी कल्याणकारी सुविधाओं तक पहुंच न होना अभी भी लोगों के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

चुनावी एजेंडे में राज्य की प्रमुख चुनौतियां

1. **बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच का अभाव**: राज्य की 90% ग्रामीण आबादी ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहती है, गांवों को बुनियादी कल्याण सुविधाओं से जोड़ने के लिए सड़क का होना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के 2019 के आंकड़ों के अनुसार, राज्य के 41% गांव आज तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हैं **(1)**।
2. **बेरोज़गारी**: वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश पूरे देश में चौथा सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाला राज्य है। हिमाचल प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग के अनुसार, राज्य में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं की संख्या 8,77,507 (31 मार्च, 2022 तक के आंकड़े) है, जिससे राज्य में 12% से अधिक लोग बिना रोजगार के हैं **(2)**।
3. **आजीविका की कमी:** सीमित मैन्युफ़ैक्चरिंग अवसरों के चलते भूमि-आधारित आजीविका के साधन पहाड़ी राज्य की अर्थव्यवस्था के केंद्र पर हैं। वर्तमान में कृषि, बागवानी और पशुपालन जीएसडीपी में 9.6% का योगदान देते हैं **(3)** और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य के 60 से 70% लोग कृषि और इससे जुड़े आजीविका कार्यों में लगे हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कृषि और इससे जुड़े आजीविका के कामों में गिरावट आई है, लेकिन ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका की जरूरतों के लिए खेतों और जंगलों पर निर्भर है।
4. **पर्यावरण संकट:** सबसे हालिया चुनौती के रूप में पिछले दो दशकों में पर्यावरण में तेज़ी से बदलाव, जलवायु संकट और इनसे संबंधित आपदाएं उभर के आयी हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले पांच वर्षों में मानसून के वक्त आपदाओं के कारण 1,550 से अधिक लोगों ने जान गवानी पड़ी और पूरे राज्य में 6,537.39 करोड़ रुपये की सरकारी संपत्ति नष्ट हुई है **(4)**।

वन अधिकार क़ानून 2006 का परिचय

वन अधिकार क़ानून को देश भर के वन आश्रितों की बुलंद माँग के बाद 2006 में भारतीय संसद में पारित किया। यह क़ानून वन क्षेत्रों में और उसके आसपास रहने वाली आबादी की तीन महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करता है

1. **आजीविका को सुदृढ़ और समर्थन**
    a) कृषि और आवास के लिए कब्जे के तहत वन भूमि पर अधिकार की कानूनी मान्यता (13 दिसम्बर 2005 से पहले)
    b) सामुदायिक उपयोग के लिए वन भूमि के अधिकारों की कानूनी मान्यता - जलाऊ लकड़ी, चारा, औषधीय पौधे, लकड़ी व अन्य लघु वन उत्पाद आदि

2. **स्थानीय विकास में मददगार:** यह क़ानून गांव के लिए सड़क, पंचायत भवन, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी आदि मूलभूत सुविधाओं के लिए वन भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया को आसान और विकेंद्रित बनाता है।

3. **समुदाय आधारित वन संरक्षण में लाभदायक:** यह क़ानून वन संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए समुदाय को जिम्मेदारी और अधिकार देता है।

हिमाचल प्रदेश, जो की मुख्य रूप से ग्रामीण राज्य है, जहां कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2/3 भाग वन भूमि के रूप में है, इधर स्थानीय जनता के अस्तित्व और आजीविका के उद्देश्यों के लिए वनों पर निर्भरता का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है।

वन अधिकार क़ानून 2006 राजनीतिक पटल में कहाँ आता है?

लोगों के मुद्दे और बाधाएं	**वन अधिकार क़ानून के तहत अधिकार और लाभ**
मुद्दा: गांव के कल्याण और विकास के लिए बुनियादी सेवाओं तक पहुँच - गाँव की सड़कें, स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन आदि। **बाधाएं:** स्थानीय विकास व बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भूमि की अनुपलब्धता क्योंकि अधिकांश भूभाग 'वन' श्रेणी में आता है जिधर केंद्र के सख़्त नियम-क़ानून लगते हैं। वन संरक्षण क़ानून के तहत भूमि हस्तांतरण की जटिल व केंद्रित प्रक्रिया के साथ अनुमति मे वर्षों लग जाते हैं	इस क़ानून की धारा 3(2) 13 प्रकार की गांव के विकास गतिविधियों के लिए वन भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत और आसान बनाती है 1 हेक्टेयर से कम वन भूमि (जिसमें 75 से अधिक पेड़ नहीं काटे जाने शामिल हैं) के हस्तांतरण के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार ग्राम सभा को है। campa और npv की राशि भी नहीं देनी होती 2012 से 2019 तक इस प्रावधान के तहत 1959 से अधिक मामलों को मंजूरी दी गई है (RTI data) - सबसे अधिक गांव की लिंक सड़कों और स्कूलों के लिए नाचन - सिराज, किन्नौर और ठियोग में राजनीतिक उम्मीदवारों ने इस प्रावधान का उपयोग कर राजनीतिक लाभ उठाया

मुद्दा: निवास और कृषि के लिए कब्जे वाली भूमि पर मलकियत का अभाव **बाधाएं:** 70% किसान सीमांत हैं जिनके पास छोटी जोत है, हजारों के करीब भूमिहीन परिवार हैं, जिनमें ज्यादातर अनुसूचित जाति हैं सख्त वन कानूनों के साथ-साथ भूमि की अनुपलब्धता ने खेती/निवास के लिए भूमि का आवंटन असंभव बना दिया वन कानूनों के कारण भूमि सुधार की अधूरी प्रक्रिया। भूमिहीन लोग और किसान जिन्हें नौतड़ नियमों के तहत जमीन मिली या मिलने वाली थी, उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल सका। राजस्व रिकॉर्ड में 'नाजायज़ कब्जे' के लाखों मामले बेदखली का खतरा और अंतहीन अदालती लड़ाई: हिमाचल में विभिन्न न्यायालयों में अवैध अतिक्रमण के 11243 मामले दर्ज हैं (जिलेवार सूची देखें प्रतिलिपि संलग्न -1) 'केंद्रीय वन कानूनों' के कारण विफल रही राज्य की नियमितीकरण नीतियां और वादे	क़ानून की धारा 3(1) वन भूमि पर आजीविका की ज़रूरतों के लिए कृषि व निवास का व्यक्तिगत अधिकारों की मान्यता देती है (न केवल निर्वाह उद्देश्यों के लिए बल्कि आय अर्जित करने के लिए भी)। क़ानून की धारा 4(5) के तहत वन आश्रित जनजाति व अन्य परंपरगत वन निवासियों को तब तक बेदखल नहीं किया जा सकता जब तक सत्यापन व मान्यता की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। राज्य के जनजातीय क्षेत्रों - किन्नौर और लाहौल स्पीति में व्यक्तिगत वन अधिकारों की मांग (आईएफआर) उठाई गई। हालांकि, गैर-जनजातीय भी 'अन्य पारंपरिक वनवासियों' की श्रेणी के तहत दावा दायर करने के पात्र हैं। अब तक राज्य भर में केवल 3000 व्यक्तिगत दावे दायर किए गए हैं, जिनमें से 129 पट्टे वितरित किए गए हैं - चंबा और लाहौल स्पीति में (मौजूदा जनजातीय मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार) पिछले 5 वर्षों में निरंतर लोगों के अभियान (11) के कारण हाल ही में किन्नौर में ऐसे 300 से अधिक व्यक्तिगत मामलों को मंजूरी दी गई थी।
मुद्दा: साझी वन भूमि तक पहुँच में रुकावट आजीविका और पर्यावरण को प्रभावित करती है **बाधाएं:** हिमाचल में वन बंदोबस्त प्रक्रिया ने समुदायों को वनों का उपयोग करने की सुविधा प्रदान की लेकिन ये 'विशेषाधिकार और रियायतें' हैं जिन्हें कभी भी वापस लिया जा सकता है	क़ानून की धारा 3(1) में चराई, चारा, ईंधन की लकड़ी, औषधीय पौधों, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उपयोगों सहित वन भूमि में 13 प्रकार के सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) शामिल हैं। इस क़ानून की धारा 3(1)(i) सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रदान करती है जिसके तहत समुदायों को वन संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और संरक्षण के अधिकारों को मान्यता दी जाती है।

वन संरक्षण क़ानून की प्रक्रिया ने बड़ी परियोजनाओं के लिए वन भूमि के हस्तांतरण की मंज़ूरी इन अधिकारों को हटा के किया राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रों में ईंधन लकड़ी, चारा, घास के लिए सामुदायिक उपयोग, गंभीर रूप से प्रतिबंधित हैं हिमाचल में गद्दी और गुर्जरों और जड़ी-बूटी जमा करने वाले लोगों के 1.5 लाख से अधिक परिवार हैं जो आजीविका के लिए सीधे वन भूमि पर निर्भर हैं, जिनकी वन भूमि तक पहुंच अनिश्चित है। हिमाचल प्रदेश की वन संपदा अपनी विविधता के लिए जानी जाती है, इसलिए लघु वनोपज रोजगार सृजन के लिए फायदेमंद हो सकते हैं जलवायु संकट को देखते हुए वन संरक्षण उपायों की तत्काल आवश्यकता है	यह क़ानून वन आश्रितों को वनों से प्राप्त उत्पादों को एकत्र करने और बेचने का अधिकार भी देता है ग्राम सभा स्तर पर दावा दाखिल करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 2016 तक राज्य के प्रत्येक राजस्व गांव में कुल 17503 वन अधिकार समितियों का गठन किया गया है। 17503 में से प्रत्येक ग्राम सभा में अधिकार धारक (बरतनदार) हैं **(5)** और ये गांव इस कानून के तहत सीएफआर का दावा करने के पात्र हैं। अब तक हिमाचल में केवल 275 सीएफआर दावे दायर किए गए हैं जिनमें से केवल 35 को ही पट्टा दिया गया है **(5)** वन अधिकार कानून के तहत सामुदायिक वन प्रबंधन और संरक्षण लोगों के अधिकारों को मान्यता मिलने से समुदाय और वन विभाग मिलकर आगे बढ़ सकते हैं

हिमाचल विधानसभा 2022 के चुनावों में वन अधिकार क़ानून की संभावना पर जांच

देश में वन अधिकार कानून को लागू हुए 15 साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी हिमाचल प्रदेश इस कानून को लागू करने वाले राज्यों की सूची में नीचे ही आता है। जबकि उड़ीसा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में इस कानून के तहत लाखों कि संख्या में लोगो को पट्टे मिले हैं **(6)**।

30.06.2022[1] तक वन अधिकार क़ानून के तहत किए गये दावों कि संख्या			**30.06.2022 तक वन अधिकार क़ानून के तहत बांटे पट्टों कि संख्या**		
व्यक्तिगत अधिकार	**सामुदायिक अधिकार**	**कुल**	**व्यक्तिगत अधिकार**	**सामुदायिक अधिकार**	**कुल**
2746	275	3021	129	35	164

[1] Source: Monthly progress report from Ministry of Tribal Affairs, GOI

एक के बाद एक आई राज्य सरकारों ने लोगों के व्यक्तिगत व सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने में राजनितिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई है। प्रदेश में इस कानून का लागू होना सिर्फ इस धारा 3(2) जो विकास कार्यों से जुडी हुई है, के क्रियान्वयन तक ही सिमित है।

ऐसे तो दिसम्बर 2018 में मौजूदा सरकार ने इस कानून को मिशन मोड पर लागू करने का वादा किया था, लेकिन तब से आज तक बहुत कम प्रगति हुई है।

उपरोक्त प्रस्तुत मुद्दे आगामी चुनावों के बाद बनने वाली लोकतांत्रिक सरकार के लिए एक चुनौती साबित होने वाले हैं। किसी भी राजनीतिक उम्मीदवार के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि हिमाचल में आजीविका या गांव के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के वादे वन भूमि से संबंधित कानूनों, विशेष रूप से वन अधिकार क़ानून की समझ के अभाव में बाधित होंगे। छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में, वन अधिकार एक प्रमुख मुद्दा बना और राजनीतिक दलों ने इसे अपने घोषणापत्रों में भी शामिल किया।

आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश के लिए वन अधिकार क़ानून, 2006 की संभावनाओं की एक झलक नीचे प्रस्तुत की गयी हैं।

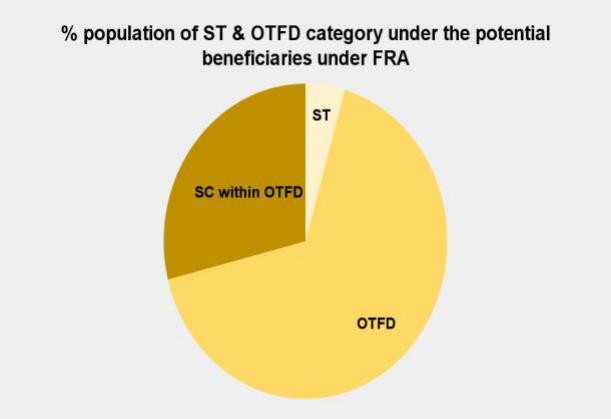

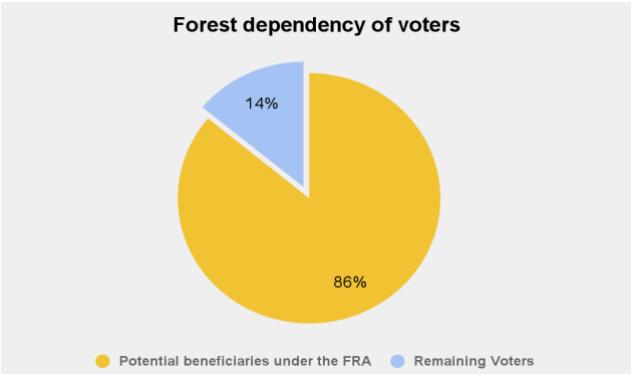

यह दस्तावेज़ राज्य में राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे के रूप में वन अधिकारों की मान्यता के महत्व पर राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं को संवेदनशील बनाने का एक प्रयास है।

जनगणना 2011 व चुनाव आयोग कि 2017 कि रिपोर्ट **(8)** के आधार पर किये गये विश्लेषण से हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं कि वनों पर निर्भरता को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इस विश्लेषण के अनुसार प्रदेश कि लगभग 70 लाख जनसँख्या में से कम से कम 86% लोग इस कानून से संभावित लाभार्थी हैं। इन संभावित लाभार्थियों में से लगभग 5.43% अनुसूचित जनजाति कि श्रेणी और 80.64% अन्य परम्परागत वन निवासी (ओटीएफडी) कि श्रेणी में आते हैं। ओटीएफडी श्रेणी के अंतर्गत भी, करीबन एक तिहाई जनसँख्या दलित (अनुसूचित जाति) है | ((अधिक विवरण के लिए संदर्भ **(9)** में ऑनलाइन गूगल शीट देखें))

प्रदेश के 55.9 लाख मतदाताओं (चुनाव आयोग कि 2022 कि सूची के अनुसार) में से 70% मतदाता वन अधिकार कानून के तहत संभावित दावेदार हैं।

इन मतदाताओं के व्यक्तिगत, सामुदायिक व विकास कार्यों से जुड़े अधिकार 26309.31 वर्ग किमी वन भूमि जो हिमाचल में अधिकारिक रूप से 'वन भूमि' की श्रेणी का 71% भाग (न्यूनतम संभावित) में हैं। इसमें सभी तरह कि वन भूमि (अनिर्धारित संरक्षित वन, सीमांकित संरक्षित वन, आरक्षित वन, शामलात, चरागाह, बंजर भूमि, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान आदि सहित) शामिल हैं।

हमारे अनुमान के अनुसार कुल 17096 गाँव (राज्य के लगभग 95%) और उनकी ग्राम सभाएँ इस कानून के तहत पात्र[2] हैं और अभी भी वन अधिकार क़ानून के तहत सामुदायिक अधिकारों से वंचित हैं। हालाँकि, जब से 17503 वन अधिकार समितियों का गठन किया गया है, यह मानना गलत नहीं होगा कि इनमें से अधिकांश निवासी वन अधिकार धारक होंगे।

सामुदायिक वन अधिकार रोजमर्रा की जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण हैं। , घुमंतू पशुपालकों और जड़ी बूटी इकठ्ठा वाले समुदायों मे और उन क्षेत्रों में जहां बड़ी परियोजनाओं के कारण वन तक की पहुंच और अधिकारों का विस्थापन हुआ है और जहां लोग कानून के प्रावधानों से अवगत हैं वहाँ एक मुद्दा बन गया हैं। सीएफआर अधिकारों के तहत लाभान्वित होने वाले मतदाताओं की संख्या कम से कम 39 लाख है, जो 2017 के चुनावों में कुल पंजीकृत मतदाताओं का 77.92% (50.5 लाख) है।

अभी तक व्यक्तिगत वन अधिकार और विकास कार्यों के अधिकारों का प्रदेश में ज़्यादा ध्यान दिया गया है है। अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र व सीमांत किसान जो ओटीएफडी कि श्रेणी में आते हैं के लिए व्यक्तिगत वन अधिकार महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। उपलब्ध आंकड़ों (वन भूमि पर निजी कब्जे) में मौजूद कमियों के कारण विभिन्न जिलों और निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आईएफआर क्षमता का विश्लेषण करना थोड़ा मुश्किल है।

राजस्व बंदोबस्त के राजस्व अभिलेखों में "नज़ायाज़ कब्ज़ा" के रूप में पंजीकृत वन भूमि पर अतिक्रमण पर एकत्रित आरटीआई जानकारी नीचे प्रस्तुत की गयी है। राज्य सरकार की 2002 की भूमि नियमितीकरण नीति के तहत आवेदन करने वाले कुल दावेदारों की 1.5 लाख से अधिक संख्या और भूमिहीन परिवारों जिनके नौतोड़ के पट्टे राजस्व दस्तावेजों मे नाम पर नहीं है उनकी संख्या हजारों मे है ।

[2] **Eligibility condition:** Population data from all the unpopulated villages has been excluded from the analysis while counting the total number of villages per constituency. The forest area considered is the one which is under the boundary of the revenue village and that too only 70% of the total. Villages with zero forest area are considered eligible for CFR on the forest land of the adjacent village.

आरटीआई सूचना: व्यक्तिगत वन अधिकारों के तहत संभावित लाभार्थी					
जिला	**जमाबंदी मे दर्ज नाजायज़ कब्जों कि संख्या (आरटीआई सूचना)**	**अनुमानित जनसँख्या [3]**	**अनुमानित मतदाता**	**तहसील से मिली जानकारी**	**कुल तहसील (उप-तहसील जोड़ कर)**
सिरमौर	796	3980	2587	8	13
चंबा	5930	29650	19273	6	11
काँगड़ा	5817	29085	18905	4	30
किन्नौर	3693	18465	12002	5	6
मंडी	12120	60600	39390	13	27
कुल	**28356**	**64580**	**41977**	**36**	**87**

हिमाचल की विभिन्न अदालतों में अवैध कब्जों के 11243 मामले दर्ज हैं **(संलग्न -1)** । किन्नौर जिले में 80 के दशक में बंदोबस्त किया गया था, उस समय 3693 “नज़ायाज़ कब्ज़े” पंजीकृत थे, जो कुल घरों का 22.50%[4] है। स्पीति में 1989 में बंदोबस्त किया गया था, उस समय 1200 से अधिक "नाज़ायज़ कब्ज़े" पंजीकृत किए गए थे जो कुल घरों का लगभग 50% है। अन्य जिलों में संख्या कम है क्योंकि या तो राजस्व बंदोबस्ती नहीं हुई या आधी अधूरी है है जैसे सिरमौर जिले के मामले में या बंदोबस्ती बहुत पुरानी है जैसे चंबा और मंडी जिले में पचास के दशक में बंदोबस्ती हुई थी। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हिमाचल में बड़ी संख्या में चुनावी मतदाता आईएफआर दावों के लिए पात्र हैं।

यदि हम विधानसभा क्षेत्र के अनुसार वितरण को देखें, तो हम पाते हैं कि ऐसे मतदाता जो संभावित एफआरए दावेदार हैं वो सभी विधानसभा क्षेत्रों में हैं और बड़ी संख्या में (60000 से 1 लाख के बीच) 68 में से 34 विधानसभा क्षेत्रों में मौजूद हैं। (नीचे ग्राफ देखें)। ये निर्वाचन क्षेत्र चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन व सिरमौर जिलों तक फैले हुए हैं।

[3] Estimated population is calculated using RTI data multiplied by 5 (for average family size) and Estimated voters are 65% of the estimated population.

[4] 16439 household in Kinnaur district in 191 census

गांव की बेहतरी के लिए विकास अधिकारों का महत्व

वन अधिकार क़ानून 2006 की धारा 3(2) ग्राम सभाओं के अधिकारों को मान्यता प्रदान करती है कि वे गांव के विकास कार्यों के लिए 1 हेक्टेयर तक की वन भूमि हस्तांतरण के लिए dfo स्तर पर अनुमति का प्रावधान है। यह एक ऐसा प्रावधान है जिसे राज्य में अच्छी तरह से लागू किया गया है - लोकप्रिय मांग के कारण। 2019 तक इसके तहत की गई गतिविधियों की संख्या इसके क्रियान्वयन के महत्व और आवश्यकता पर साबित करती है है जो निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिससे कोई भी राजनीतिक दल लाभान्वित हो सकता है। नीचे दी गई टेबल और चार्ट में प्रस्तुत जानकारी, 5 वन्यजीव अभ्यारण्य सहित 41 वन प्रभागों (कुल 45 में से) से प्राप्त आरटीआई आंकड़ों पर आधारित है। धारा 3(2) के महत्व पर एक विस्तृत रिपोर्ट नीचे दिए गए लिंक में साझा की गई है **(7)**।

2019 तक धारा 3(2) के तहत विकास कार्य वार वन भूमि हस्तांतरण

विकास कार्य	कार्यों की संख्या	वन हस्तांतरण का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
पशुपालन संबंधित कार्य	17	1.02
सामुदायिक केंद्र	148	17.11
बिजली लाइन	20	5.66
पीडीएस	6	0.20
स्वास्थ्य केंद्र	71	11.29
गैर पारम्परिक ऊर्जा	1	0.11
सड़क	1423	779.49
स्कूल	163	39.94
सीवेज	3	0.40
प्रशिक्षण केंद्र	26	13.18
जल आपूर्ति	81	19.17
कुल	1959	887.56

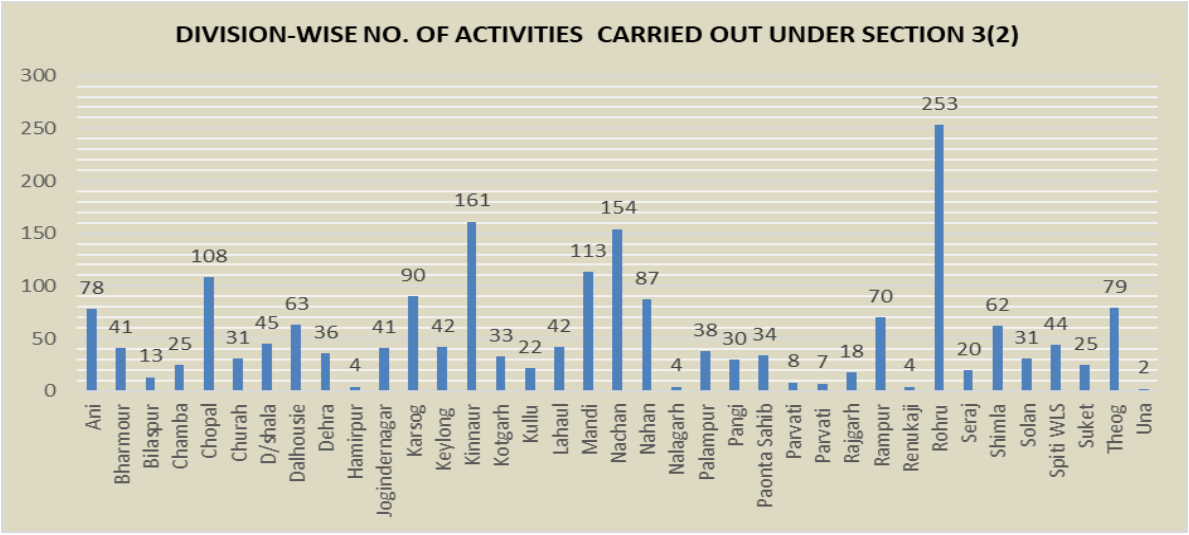

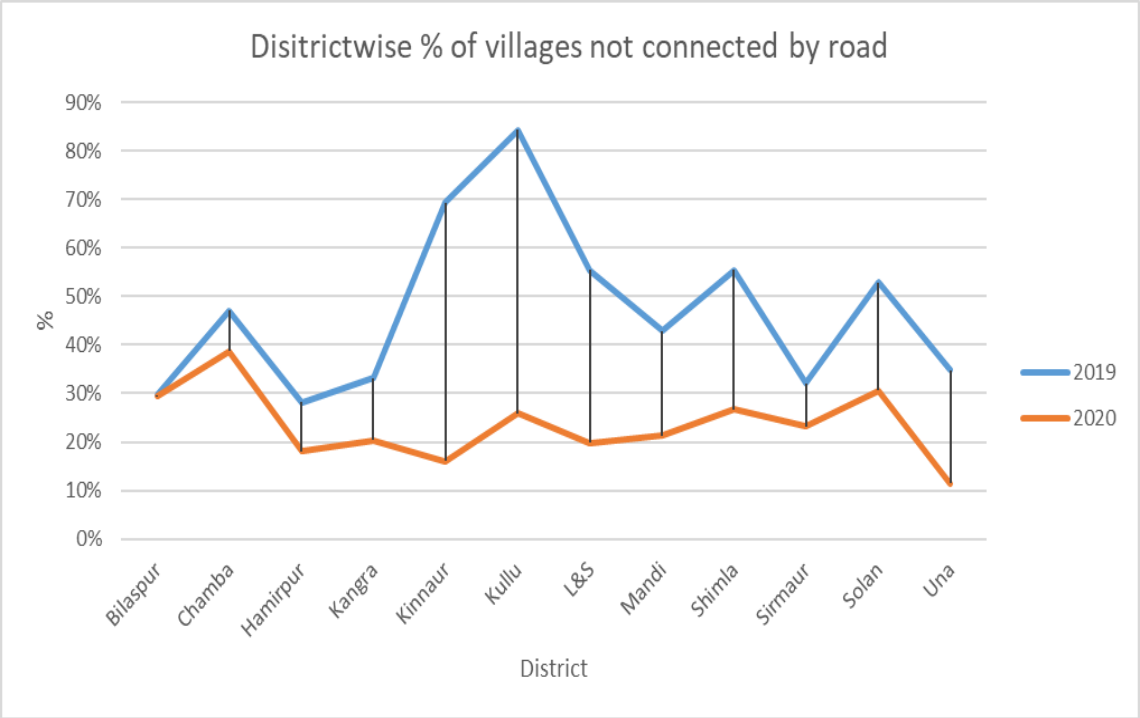

2019 में हिमाचल में 41% गाँव ऐसे थे जो सड़क से नहीं जुड़े थे और अब यह घटकर कुल गाँवों का 21% रह गया है (10)।

राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए सिफारिशें

1. राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 का न्यायपूर्ण कार्यान्वयन: राज्य के लोगों और समुदायों के जंगलों पर उच्च निर्भरता को देखते हुए, यह उचित समय है कि उन्हें एफआरए के तहत उनके अधिकारों के लिए मान्यता दी जानी चाहिए।

2. जागरूकता पैदा करने और एफआरए से संबंधित मिथकों का स्पष्टीकरण करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन: एफआरए के बारे में जागरूकता पैदा करने और भ्रांतियों को दूर करने के लिए एक व्यापक और समावेशी अभियान आयोजित किया जाना चाहिए। ये प्रशिक्षण जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी) और उप-मंडल स्तरीय समितियों (एसडीएलसी) के आधिकारिक और गैर-सरकारी सदस्यों और राजस्व और वन विभागों के लाइन अधिकारियों के लिए भी आयोजित किए जाने चाहिए। लोगों की ओर से, वन अधिकार समितियों (FRC) को निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और दावा दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान FRCs की मदद करने के लिए प्रत्येक उप-मंडल में विशेष कक्ष खोले जाने चाहिए।

3. जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी) और उप-मंडल स्तरीय समितियों (एसडीएलसी) के सभी सदस्यों को एफआरए 2006 के तहत समयबद्ध तरीके से लंबित दावों पर पट्टा जारी/ निर्णय में तेजी लाने के लिए स्पष्ट निर्देश - वर्ष 2014 की शुरुआत से कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चंबा जैसे जिलों में, वन अधिकार समितियों ने इस क़ानून के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों दावे प्रस्तुत किए हैं। फिर भी, इन दावों पर कोई अंतिम

निर्णय नहीं लिया गया है। इस संबंध में, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उपमंडल स्तरीय व जिला स्तरीय समिति स्तर पर लंबित दावों पर समयबद्ध तरीके से अंतिम निर्णय लेने के लिए सभी डीसी और एसडीएम को निर्देश दें। यहां तक कि शिमला उच्च न्यायालय ने 30/08/16 को इस क़ानून की धारा 6 के तहत मामलों में तेजी लाने का आदेश दिया है।

4. धारा 3(1) के लागू न होने के कारण धारा 3(2) के लिए खतरे को समझें: इस क़ानून की धारा 3 (2) के तहत, जो वन आश्रित समुदायों के "विकास के अधिकार" को सुनिश्चित करता है इस धारा के तहत 13 विकास गतिविधियों के लिए वन भूमि के 1 हेक्टेयर तक हस्तांतरण के लिए मंजूरी जाती है। जनजातीय मंत्रालय द्वारा जारी पत्र (F.No.23011/11/2013-FRA) दिनांक 14/12/2015 के अनुसार धारा 3 (1) और 3 (2) के तहत दोनों प्रक्रियाओं को समानांतर चलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसके कारण धारा 3(2) के तहत की जाने वाली विकास गतिविधियों को चुनौती दी जा सकती है क्योंकि इस धारा के तहत पात्रता का निर्धारण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत दावा दायर करके ही किया जाएगा। क़ानून का पूर्ण कार्यान्वयन तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब धारा 3(2) के तहत दर्ज विकास अधिकारों की रक्षा के लिए धारा 3(1) को मान्यता दी गई हो।

5. गुमन्तु पशुपालक समुदायों के दावे दर्ज करना- गुमन्तु पशुपालक समुदायों के दावे जिले की सीमा के अंदर और बाहर अन्य ज़िलों में भी होते हैं।अतः क़ानून के नियम 12बी (2) और संशोधित नियम 2012 के अनुसार, "**जिला स्तरीय समिति संबंधित ग्राम सभाओं के समक्ष धारा 3 की उप धारा (i) के खंड (डी) में वर्णित घुमंतू समुदायों द्वारा दावों को दाखिल करने की सुविधा प्रदान करेगी**"। इसका मतलब है कि जिला स्तरीय समिति को इस क़ानून की धारा 3 (1) के तहत दावों को आवेदन करना सुनिश्चित करना चाहिए।

6. प्रधान सचिव (वन) द्वारा 19 जून 2014 के पत्र को वापस लेना - इस क़ानून के प्रावधानों की अनुपालन करते हुए, वन भूमि के हस्तांतरण के संबंध में 2009 में जनजातीय मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन में, प्रमुख सचिव (वन) ने सभी वन अधिकार, उपमंडल व जिला स्तरीय समिति को सिफारिश/सहमति के लिए 19 जून 2014 को प्रपत्र जारी किए थे, जिन्हें तुरंत वापस ले लिया जाना चाहिए क्योंकि जनजातीय विकास विभाग इस क़ानून के तहत नोडल एजेंसी ना की वन विभाग। वन विभाग को इस क़ानून के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है।

7. 'शून्य' या 'शून्य दावा' प्रमाण पत्र वापस लेना: चंबा और मंडी जिले में इन प्रपत्रों पर ग्राम सभाओं से मांगे गए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NoC) को निरस्त करना चाहिए क्योंकि नियम 11 (4) के तहत "**वन अधिकार समितियाँ, ग्राम सभा की ओर से "समुदाय वन अधिकार" के लिए दावा फार्म 'ख' में और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार के लिए धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (i) के तहत दावा फॉर्म ग में दावे तैयार करेंगी**"। इसका मतलब है कि सामुदायिक दावों को दाखिल करने की जिम्मेदारी वन अधिकार समिति की है।

8. वन अधिकार क़ानून, 2006 की धारा 4(1) और 4(5) के आधार पर वन भूमि पर "अतिक्रमण" के मामले में राज्य सरकार को उच्च न्यायालय को अवगत कराना चाहिए- इस क़ानून की धारा 4(1) के अनुसार केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 3 (1) में उल्लेखित **वन अधिकारों को मान्यता दी है और निहित किया है**। इसलिए 1

दिसंबर 2008 को अधिनियम के लागू होने के बाद, वन भूमि पर "अतिक्रमण" को वन भूमि पर "कब्जे" के रूप में माना जाना चाहिए। जैसा कि यह क़ानून अन्य सभी कानूनों सर्वोपरि है। इसी लिए वन भूमि पर किए गए क़ब्ज़ों को 'हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक परिसर और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) क़ानून, 1971 के तहत अवैध अतिक्रमण के रूप में नहीं माना जा सकता है, जब तक वन अधिकार क़ानून की धारा 6 के तहत मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। इसके अलावा, क़ानून की धारा 4(5) यह सुनिश्चहित करती है जब तक दावों की पुष्टि/सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक वन भूमि पर कब्जा हटाया नहीं जा सकता है। यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि वन अधिकार धारकों को अनावश्यक रूप से बेदखल न किया जाए।

9. अधिनियम की धारा 3(1)(जी) का उपयोग करना जो पहले से ही स्वीकृत पट्टों के रूपांतरण का प्रावधान करता है, जिससे उन नोतड़ दावों की मान्यता के लिए जगह मिलती है जो 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के कारणनहीं मिले: जब वन संरक्षण कानूनों के रूप में वन्यजीव संरक्षण क़ानून 1972 और वन संरक्षण क़ानून 1980 को लागू किया गया, इनकी वजह से वनों में रहने वाले समुदायों की वन भूमि की पहुंच व मालिकाना अधिकार को प्रभावित किया। वन संरक्षण क़ानून, 1980 के अनुसार, गैर-वानिकी गतिविधियों के लिए किसी भी वन भूमि को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति के बिना हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, जिससे राज्य के कानूनों, जैसे भूमि नियमितीकरण, 2002 या राज्य के अन्य क़ानून के माध्यम से वन भूमि के किसी भी कब्जे का 'नियमितीकरण' असंभव हो जाता है। ।

मौजूदा सरकारी प्रस्तावों के अभाव में, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने मई 2002 में सभी राज्य वन विभागों को सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे गोधावर्मन मामले के अंतर्गत आदेशों के आधार पर वन भूमि पर अवैध अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिए। लेकिन अब वन अधिकार क़ानून, 2006 के ज़रिए, सरकार वन भूमि पर निर्भर लोगों के हितों की रक्षा करते हुए, वैध और कानूनी रूप से मान्य व्यक्तिगत दावों को मान्यता दे सकती है।

इस संबंध में वन अधिकार क़ानून की धारा 3(1)(जी) का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह धारा 3(1)(जे) भी अनुसूचित जनजातियों के मामले में राज्य, जिला और कस्टमरी कानूनों के तहत अधिकारों को मान्यता देती है। इस प्रावधान का उपयोग राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में नोटोड़ के पट्टे वितरित करने के लिए भी किया जा सकता है।

10. दावा दाखिल करने की प्रक्रिया में 'दस्तावेजी साक्ष्य' के लिए उप मंडल स्तरीय समिति द्वारा दस्तावेजों को उपलब्ध कराने का प्रावधान:

इस क़ानून के प्रावधानों के अनुसार दावा प्रपत्र भरने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उपमंडल समिति की है। हालांकि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उप मंडल स्तरीय समिति इस मोर्चे पर सक्रिय नहीं हैं और वन अधिकार समिति के सदस्यों को दस्तावेजों की तलाश में इधर-उधर भटकने के लिए मजबूर किया है। सिरमौर में, ये दस्तावेज (जैसे वाजिब उल अर्ज और फैसला-ए-जंगलात उर्दू और फारसी में हैं और वन अधिकार

समिति के सदस्यों को स्वयं दस्तावेजों के अनुवाद करने के लिए कहा जा रहा है। इससे कई मामलों में दावा दाखिल करने की प्रक्रिया रुक गई है।

11. राज्य स्तरीय समिति की नियमित बैठकें और जनजातीय मंत्रालय को परस्पर रिपोर्ट भेजना

वन अधिकार क़ानून के तहत राज्य स्तरीय निगरानी समिति की ज़िम्मेदारी है की 3 महीने में एक बार अपनी बैठकें व राज्य में इस क़ानून के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी रखे। हालांकि, हिमाचल राज्य स्तरीय निगरानी समिति न केवल अपनी बैठकों में अनियमित रही है बल्कि पिछले दो वर्षों से विभिन्न स्तरों पर लंबित दावों की स्थिति के बारे में देश स्तरीय नोडल एजेंसी - जनजातीय मंत्रालय को नियमित रिपोर्ट प्रेषित करने में भी विफल रही है।

समर्थनकर्ता संगठन:

चम्बा वन अधिकार मंच, चम्बा

गुज्जर कल्याण सभा, चम्बा

हिमलोक जागृति मंच, किन्नौर

जिला वन अधिकार संघर्ष समिति, किन्नौर

जिस्पा बांध संघर्ष समिति, लाहौल स्पीति

लाहौल स्पीति एकता मंच, लाहौल स्पीति

सिरमौर वन अधिकार मंच, सिरमौर

स्पीती सिविल सोसायटी, लाहौल स्पीति

सेव लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति

हिमधरा पर्यावरण समूह, हिमाचल प्रदेश [ईमेल: info@himdhara.org]

संदर्भ सूची:

(1) https://hppwd.hp.gov.in/related-links/village-connectivity

(2) https://www.hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/unemployment-reverberates-loud-in-himachal-poll-battle-101666011208556.html

(3) https://timesofindia.indiatimes.com/city/shimla/agri-sector-share-in-hp-gsdp-down-to-9-6-in-fy21-from-57-9-in-fy51/articleshow/90190972.cms

(4) https://www.thehindu.com/news/national/other-states/more-than-1550-people-died-in-five-years-during-monsoon-in-himachal-pradesh/article65822246.ece

(5) https://himachalservices.nic.in/tribal/pdf/StatusDistrictwiseFRCs-Aug2017.pdf

(6) https://tribal.nic.in/downloads/FRA/MPR/2022/(A)%20MPR%20Jun%202022.pdf

(7) http://www.himdhara.org/wp-content/uploads/2020/02/Missing-the-forest-for-trees-english-1.3-FINAL-RELEASE.pdf

(8) https://eci.gov.in/files/file/3815-himachal-pradesh-general-legislative-election-2017/

(9) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zPbw5vgNkQLvb6UQI_0RDXRbqgnmqRFp/edit?usp=sharing&ouid=104104229544574557587&rtpof=true&sd=true

(10) https://hppwd.hp.gov.in/related-links/village-connectivity

(11) http://www.himdhara.org/wp-content/uploads/2022/01/Submission-to-MLAs-on-FRA-15-Years1.pdf

संलग्नक (1) हिमाचल में विभिन्न न्यायालयों में दर्ज अवैध अतिक्रमण के 11243 प्रकरणों का जिलावार डाटा.

जिला	कुल मामले (१० बीघा से कम)	वन भूमि में कब्जा (बीघा में)
बिलास्पुर	468	944.64
चम्बा	2090	3290.8
हमीरपुर	40	9.98
काँगड़ा	925	1328.08
किन्नौर	24	200.03
कुल्लू	3255	8100.06
लाहौल स्पीती	7	0.107
मंडी	883	1703.08
शिमला	3087	10389.78
सिमौर	392	548.57
सोलन	65	32.47
ऊना	6	5.22
कुल	**11242**	**26552.81**

स्रोत : http://hpforest.gov.in/encroachments